



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GC 540158

(प्रारूप-“अ”)

समक्ष: प्राविधिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

हम जय प्रकाश यादव पुत्र स्व० राम लखन यादव अध्यक्ष एवं जितेन्द्र कुमार यादव पुत्र राम नक्षत्र यादव क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव बी०आर०डी० शिक्षण संस्थान मड़पही पोस्ट नोनापार, देवरिया शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

धारा-1 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा बी०आर०डी० शिक्षण संस्थान मड़पही पोस्ट नोनापार, देवरिया नामक डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

धारा-2 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम मड़पही पोस्ट नोनापार, देवरिया में भूमि स्थित है गाटा संख्या 105,112,116,117,136, व 137 कुल रकबा 0.810हे० भूमि है।

धारा-3 यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

धारा-4 यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 105,112,116,117,136, व 137 कुल रकबा 0.810हे० भूमि है। पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 10.07.2023 द्वारा पारित किया गया है।

धारा-5 यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

धारा-6 यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।



29/8/2023

*(Handwritten signature)*

*Jitendra Kumar Yadav*

धारा-7 यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

धारा-8 यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

धारा-9 यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

धारा-10 यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

धारा-11 यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

धारा-12 यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का तत्काल पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

धारा-13 हम घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज पूर्ण, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो हमारे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।

HO अध्यक्ष

HO सचिव / *Litendar Kumar Jada*



*[Signature]*  
29/8/2023

S No 9996 Date 29/8/2023 A.M./P.M.  
I Have Administered Oath To Shri. पुन्यम लखन  
Identified by Shri. जयकांत पांडे  
I Have Satisfied By व. लितेंद्र कुमार  
Examining The Deponent He Understands the Contents of affidavit Explained to him

SURENDRA LAL SRIVASTAVA  
Public NOTARY  
Collectorate, Deoria

*[Signature]*  
29.8.2023

*[Signature]*  
29.8.2023